

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VIII)एनआरएचएम/एचआरडी/2018/1048 दिनांक : 11/07/18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में गुप-एफ से संबंधित संविदा ब्लॉक आशा फ़ैसिलिटैटर पद की प्रतीक्षा सूची में कैटेगरीवाईज मेरिटवाईज उपलब्ध अभ्यर्थियों में से 22 पदों पर नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख राशि रु 8800/- प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलो में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है

S.No.	Name of Candidate	Father's / Husband Name	Block	District
1	DEVENDRA KUMAR PANWAR	RADHEY SHYAM	JAWAJA	AJMER
2	SHAKUNTLA SHARMA	HEMANT KUMAR SHARMA	BEHROR	ALWAR
3	RAKESH KUMAR PATIDAR	NATHULAL PATIDAR	SAJJANGARH	BANSWARA
4	SHEELA JOSHI	DHEERAJ K SHARMA	BARAN	BARAN
5	MUKUT BIHARI GURJAR	CHAMPA LAL GURJAR	SHABAD	BARAN
6	SURENDRA KUMAR	PHOOL CHAND	SHIV	BARMER
7	RAJESH KUMAR SHARMA	BAJRANG LAL SHARMA	MADALGARH	BHILWARA
8	PRADEEP KUMAR	TEJA RAM	RAIPUR	PALI
9	TINA MUNIM CHAIRWAL	HANUMAN PRASAD BAIRWA	GULABPURA	BHILWARA
10	PRADEEP MATHUR	MAHAVIR PRASAD MATHUR	RAJAKEDA	DHOLPUR
11	CHANDAN SINGH RAJPUT	JASWANT SINGH RAJPUT	ASPUR	DUNGARPUR
12	OM PRAKASH MEEL	BHAGIRATH MEEL	BHADRA	HANUMANGARH
13	URMILA	KARSHAN KUMAR	NOHAR	HANUMANGARH
14	HANS RAJ BAROLIA	ROOD MAL BAROLIA	SAM	JAISALMER
15	SUBHASH CHANDRA CHHAPOLA	RAMSWAROOP MEENA	JAISALMER	JAISALMER
16	LAXMAN RAM KUMAWAT	ISHWAR RAM KUMAWAT	NAGOUR	NAGOUR
17	SHARVAN KUMAR	BHIKHA RAM	JAYAL	NAGOUR
18	DOONGA RAM	SOOJA RAM	JAITARAN	PALI
19	RAMESHWAR LAL PACHORIYA	NANA LAL	RAJSAMAND	RAJSAMAND

20	ASHISH KUMAR TRIVEDI	KESAR LAL TRIVEDI	AMET	RAJSAMAND
21	MANOJ KUMAR NIRMAL	RAJENDRA KUMAR NIRMAL	DEVGARH	RAJSAMAND
22	DINESH KUMAR KHANDELWAL	NAND KISHOR KHANDELWAL	GANGAPURCITY	SAWAI MADHOPUR

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20/07/2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 23/07/2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावे।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्धारित अनुबंध का प्रारूप समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पृथक से भिजवाया जा रहा है, जिसके आधार पर नव नियुक्त संविदा कार्मिक के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः 31 मार्च 2019 के लिये लिया जावेगा। संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।

अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।


इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की

जॉच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुऐ नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष इनका मूल्यांकन अगले वर्ष की 31 मई तक निष्पादित नहीं किया जाता है, तो 01 जून से अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

ब्लॉक स्तर के कार्मिको का मूल्यांकन जिला स्तर पर ही होगा तथा जिला स्वास्थ्य समिति/जिला स्तर की पूर्वानूमति के बिना इसे अन्तिम नहीं किया जा सकेगा।

ब्लॉक मुख्यालय पर यदि बॉयोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है तो उक्त संविदा कार्मिकों की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी, जो इस आशय की रिपोर्ट एचआर अनुभाग, एनएचएम को ई-मेल आई.डी. co.hrd.nhm@gmail.com पर भेजेंगे।


(निवीन जैन)
शासन सचिव


चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VIII) एनआरएचएम/एचआरडी/2018/1048

दिनांक : 11/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, वित्त, एनएचएम, जयपुर।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
10. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार एनएचएम, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त संबंधित जिले।
14. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त संबंधित ब्लॉक।
15. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम